

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

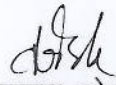
क्रमांक : एफ.3(ख)एम-57/2011/अलेसे-11/6419-6427

दिनांक : 25.07.2014

कार्यालय आदेश

शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.8(17)शि-5/2014 पार्ट दिनांक 25.07.2014 से इस निदेशालय को अवगत कराया गया है कि श्री मुकेश कुमार शर्मा, लेखाकार (परिवीक्षाधीन) कार्यालय अध्यक्ष, राजस्थान निजी शिक्षण संस्थाएं फीस निर्धारण समिति, शिक्षा संकुल, जयपुर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) जयपुर के द्वारा दिनांक 23.07.2014 को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। अतः श्री शर्मा को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 23.07.2014 से निलम्बित किया जाता है। श्री शर्मा को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अनुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

श्री मुकेश कुमार शर्मा, लेखाकार का निलम्बन काल में मुख्यालय कोष कार्यालय, कोटा रहेगा। श्री शर्मा निलम्बन काल में मुख्यालय में प्रतिदिन उपस्थिति देंगे।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक
कोष एवं लेखा

क्रमांक : एफ.3(ख)एम-57/2011/अलेसे-11/6419-6427

दिनांक : 25.07.2014

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.8(17)शि-5/2014 पार्ट दिनांक 25.07.2014 के क्रम में।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. अध्यक्ष, राजस्थान निजी शिक्षण संस्थाएं फीस निर्धारण समिति, शिक्षा संकुल, जयपुर।
4. शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) जयपुर संभाग जयपुर को उनके पत्र क्रमांक शिउनि/जय/मा/समा-1/फा-ऋषिराज/मुकेश/06/14 दिनांक 24.07.2014 के क्रम में।
5. कोषाधिकारी, कोटा
6. श्री मुकेश कुमार शर्मा, लेखाकार (परिवीक्षाधीन) लिंक नम्बर 9369 कार्यालय अध्यक्ष, राजस्थान निजी शिक्षण संस्थाएं फीस निर्धारण समिति, शिक्षा संकुल, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक प्रशासन/जाँच निदेशालय।
8. उप निदेशक, कम्प्यूटर शाखा वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
9. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)